आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
4/08/21	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। (1) प्रस्तुत वाद आवेदक सच्चिदानंद प्रसाद वर्मा० साकिन- बगोदर थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। आवेदक (प्रथम पक्ष) के अनुसार मौजा- सरमुन्डे, थाना सं० - 108, खाता सं० - 15, प्लाट - 1221, रकबा - 12 डी. वो प्लोट सं० - 1237 रकबा - 35 डी. एवं खाता सं० - 246, प्लाट सं० - 1336, 139, रकबा - 13½ डी. खाता सं० - 1 प्लाट सं० - 424/34, 424/8, 424/46, 424/41, 424/42 रकबा - 3.96 एकड़ कुल रकबा 6.56½ एकड़ का जमाबंदी गलत तरीके से नामांतरण वाद सं० - 107/2006-07 के माध्यम से खुलवा ली गई है। उक्त नामांतरण वाद के सुनवाई के समय प्रथम पक्ष द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी, परन्तु आपत्ति को अस्वीकृत करते हुये नामान्तरण की स्वीकृति दी गई थी। (2) प्रस्तुत भूमि के खतियानी रैयत ईश्वर राम,	

(6)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	गाठायत राम एवं रामा प्रसाद हैं। ईश्वर राम अपने मृत्यु के पश्चात् अपने सात पुत्रों को छोड़कर गये जो जगन्नाथ प्रसाद, बैजनाथ प्रसाद, गुलाल प्रसाद, रामजी प्रसाद, श्यामलाल प्रसाद, खेमलाल प्रसाद एवं हेमलाल प्रसाद हैं। श्यामलाल प्रसाद अपने दो पुत्रों लक्ष्मण प्रसाद तथा रामसुमिरन प्रसाद को छोड़कर मरें। लक्ष्मण प्रसाद अपने दस पुत्र बद्री प्रसाद, नरसिंह प्रसाद, ललन प्रसाद, सच्चिदानन्द प्रसाद, मोहन प्रसाद, भूषण प्रसाद, राजन प्रसाद, उत्तम प्रसाद एवं रामसेवक प्रसाद को छोड़कर मरें। इस प्रकार उभयपक्ष एक ही खतियानी रैयत के वंशज हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्य सं० 2, 3, 4 ने दानपत्र सं०-750 दिनांक - 20/11/1958 एवं प्रोबेट वाद सं० - 1/1983 का आदेश अपने पक्ष में प्रस्तुत करते हैं जबकि खतियान/बेटवारा द्वारा प्रथम पक्ष के द्वारा जमीन प्राप्त करने का दावा किया जा रहा है। (3) प्रथम पक्ष के अनुसार उक्त प्रोबेट वाद का सत्यापन	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	सम्बन्धित न्यायालय के अभिलेखागार से सम्पर्क किया गया जिसके पंजी में इस वाद का उल्लेख नहीं पाया गया। साथ ही फरेबा बंटवारा को मानते हुये द्वितीय पक्ष के वंशज-गणों के द्वारा भूमि का विक्रय भी किया है, अतः द्वितीय पक्ष की जमाबंदी को खारिज कर प्रथम पक्ष की जमाबंदी कायम करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।, (4) द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि द्वितीय पक्षगण को मो० सोमरी कुँवर पति स्व० रुलाल प्रसाद से वसीयतनामा द्वारा प्राप्त है। मो० सोमरी कुँवर की मृत्यु के पश्चात Civil Judge गिरिडीह के न्यायालय में प्रोबेट वाद लाया गया तथा वसीयत को सम्पुष्ट किया गया जिसके आधार पर अंचल अधिकारी बगोदर द्वारा द्वितीय पक्ष के वंशजगणों के नाम जमाबंदी कायम की गई। (5) आगे द्वितीय पक्ष का कहना है कि श्यामलाल प्रसाद पिता इसर राम के नाम पर सर्वे खतियान है एवं श्यामलाल प्रसाद के दो पुत्र लक्ष्मण प्रसाद एवं राम किशुन प्रसाद है जो दोनों पक्षों	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

के पूर्वज हैं। श्यामलाल प्रसाद जीवित रहते हुये लक्ष्मण प्रसाद एवं रामकिशुन प्रसाद दोनों भाईयों को अपनी पत्नी कुमारी देवी के सामने ही सारे सम्पत्ति का बंटवारा दिनांक 07/08/1970 को कर चुके हैं। इस बंटवारानामा में विवादित प्लाट का कहीं जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि इस ~~ग्रह~~ सम्पत्ति का वसीयत किया जा चुका था। ~~बच~~ अतः यह वाद अस्वीकृत करने योग्य है।

(6) द्वितीय पक्ष के द्वारा वसियत नामा एवं जिला जज द्वारा प्रोबेट वाद सं० 1/1983 में दिनांक 14/12/83 के आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रोबेट वाद नहीं चलाया गया है। परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा अद्यतन प्रोबेट वाद की नकल दाखिल करने पर इस पर संदेह की गुंजाईश नहीं रह जाती है।

(7) प्रोबेट वाद के Form No. (J) 36 का अवलोकन किया। जिला जज द्वारा वसीयत को स्वीकृत करते हुये आदेश

देश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	दिया गया था कि "...... make a full and true inventory of said property and Credits, and exhibit the same in this Court within six months from the date of this grant, and also to render to this Court a true account of the said property and Credits within one year from the same date." द्वितीय पक्ष के सदस्य गणों के द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और न ही वसीयत में धारित सम्पत्ति का विवरण है। फलतः वसीयत की सम्पत्ति स्पष्ट नहीं है जिसके आधार पर नामांतरण की कार्यवाई की जा सके। (8) प्रथम पक्ष के द्वारा घरेलू बंटवारा का पंचनामा दाखिल किया गया है। इसमें स्व० लक्ष्मण प्रसाद के दोनों पुत्रों का हस्ताक्षर बना हुआ है। इसके अनुसार स्व० लक्ष्मण प्रसाद की सम्पत्ति का बंटवारा किया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा दो निबंधित विक्रय पत्र	

(10)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	सं० ~~86~~ 8543 दिनांक 8/7/11 एवं विक्रय पत्र सं० 10034 दिनांक 27/8/11 दाखिल किया गया है। विक्रय पत्र का निष्पादन विक्रेता के रूप में द्वितीय पक्ष के कुणाल किशोर के द्वारा किया गया है। इस विक्रय पत्र को उक्त बंटवारानामा के आधार पर सम्पादित किया गया है। स्पष्टया द्वितीय पक्ष वसीयत के इतर बंटवारा पंचनामा को अमल में लाये हैं। (9) प्रथम पक्ष के द्वारा स्व० लक्ष्मण प्रसाद के चार पुत्रो - (1) भूषण प्रसाद (2) राम सेवक प्रसाद (3) ललन प्रसाद (4) चन्दन प्रसाद का शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इस शपथ पत्र के अनुसार दिनांक 11/12/1994 के पंचायत के आधार पर सभी काबिज है तथा द्वितीय पक्ष के पिता एवं चाचा को मकान बनाने हेतु मोहिलाल प्रसाद जी के घर के बगल में खाता नं.-246, प्लाट सं०-1337, रकबा-11.5 डी. जमीन दी गई है। (10) प्रथम पक्ष के द्वारा	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
7	अजय साव पिता - मोहिलाल साव एवं धन्नु साव, पिता - रामेश्वर साव का शपथ-पत्र दाखिल किया गया है। उक्त शपथ पत्र के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष के सदस्य-गणों का कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा है बल्कि प्रथम पक्ष के सदस्यगणों का दखल-कब्जा है। उक्त सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Municipal Corporation, Aurangabad Vs. State of Maharashtra & Othr. (2016) में पारित न्यायादेश उल्लेखनीय है :— "It is settled that mutation does not confer any right and title in favour of any one or other, nor cancellation of mutation extinguishes the right and title of the rightful owner. Normally, the mutation is recorded on the basis of the possession of the land for the purposes of collecting revenue." स्पष्टतया नामांतरण दखल-कब्जा	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	के आधार पर किया जाता है। प्रस्तावित भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा सम्पुष्ट होता है। (ii) नामांतरण वाद सं०-107/2006-07 में अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी बगोदर द्वारा न ही दाखिल कागजातों की समीक्षा की और न ही दखल-कब्जा पर विचार किया है, बल्कि मात्र स्वीकृति का आदेश पारित कर दिया गया है। उक्त विवेचन के आलोक में प्रथम पक्ष के अपील को स्वीकृत किया जाता है तथा नामांतरण वाद सं०-107/2006-07 में पारित अंचल अधिकारी के आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रथम पक्ष की जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है। उभय पक्षों एवं अंचल अधिकारी बगोदर को इस आदेश से अवगत करायें। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। 4/08/21 LRDC	

Digitally signed by Kundan Kumar
Date: 2021.09.09 13:30:20 +05:30
Location: 192.168.43.238